

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 37

No. 83]

DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

[ N.C.T.D. No. 37

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2013

सं. फा. डीई 4(6 X 210)/ई. IV/2003/पार्ट-1/510.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम, पद के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 जून, 1960 की अधिसूचना संख्या फा. 26(49)/59-आर एंड एस के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, सहायक अध्यापक (प्राथमिक) भर्ती नियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उसके संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में "सहायक अध्यापक (प्राथमिक)" के पद के भर्ती नियम में संशोधन

1.	पद का नाम	: सहायक अध्यापक (प्राथमिक)
2.	पदों की संख्या	: 4016 (2013) ' इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	: पे बैंड - 2 9300-34800/- रुपये (ग्रेड पे - 4200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	: लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)  टीप: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	: अनिवार्य :-  1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी, अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी, अथवा इसके समकक्ष तथा एनसीटीई (मान्यता मापदंड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से

		<p>जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी ;अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक</p> <p>अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी ;अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक योग्यता परीक्षा (सीटीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>3. सैकेण्डरी स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो।</p> <p>टीप 1:- आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग से संबंधित उम्मीदवारों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक छूट।</p> <p>टीप 2:- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: 2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: लागू नहीं

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति, स्थाईकरण पर विचार करने हेतु 1. सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष 2. निदेशक, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य 3. अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव, शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. मधु तवैतिया, अतिरिक्त सचिव, शिक्षा

**DIRECTORATE OF EDUCATION  
NOTIFICATION**

Delhi, the 16th May, 2013

**No. F. D.E. 4(6)(210)/E.IV/2003/Pt-I/510.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 26(49)/59-R & S dated the 28th June, 1960, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Teacher (Primary) in the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Directorate of Education, Assistant Teacher (Primary) Recruitment Rules, 2013  
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and scale of pay.** – The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** – No person,-
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

**Recruitment Rules for the post of Assistant Teacher (Primary) under the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi**

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-Selection post
1.	2.	3.	4.	5.
Assistant Teacher (Primary)	4016* (2013) *subject to variation dependent on workload	GCS Group "B", Non-Gazetted, Non Ministerial	(PB-2) Rs. 9300- 34,800 (Grade Pay - Rs. 4200)	Not Applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any
6.	7.	8.	9.
Not exceeding 30 Years. <b>Note1:</b> Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note2:</b> The crucial date for determining the	<b>Essential:-</b> 1. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from a recognized Board. OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) regulations -2002.	Not Applicable	2 Years

2030 05/13-2

<p>age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,</p>	<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.).</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education) from a recognized Board.</p> <p style="text-align: center;">OR</p>		
<p>Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of J&amp;K State, Lahul &amp; Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar islands or Lakshadweep).</p>	<p>Graduation and two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known) from a recognized Board.</p> <p>2. Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE).</p> <p>3. Must have passed Hindi or Urdu or Punjabi or English as a subject at Secondary level.</p> <p>NOTE-1: Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH. NOTE-2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p>		

<b>Method of recruitment:</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
10.	11.	12.	13.
By Direct Recruitment	Not Applicable	<b>Group "B" DPC (For considering confirmation):-</b>  1. Secretary (Education), Government of NCT of Delhi <b>-Chairman</b>  2 Director (Education), Government of NCT of Delhi <b>-Member</b>  3 Additional Director/ Additional Secretary/ Joint Secretary (Education), Government of NCT of Delhi <b>-Member</b>	Consultation with UPSC not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. MADHU TEOTIA, Addl. Secy, Education